बिहार सरकार (8) आ० प्र० सं०

पथ निर्माण विभाग

आ0सं0– निग / सारा–1 (पथ)–आरोप–57 / 2018 (खंड)– पटना, दिनांक 07/01/25

कार्यालय आदेश –02

श्री ब्रह्मानन्द पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस सम्प्रति कनीय अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया के पथ प्रमंडल कोचस पदस्थापन अवधि में OPRMC (Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) के अंतर्गत पैकेज संख्या–61 में सासाराम–चौसा राज्य उच्च पथ के दीर्घकालीन पथ संधारण में पायी गयी गंभीर अनियमितता के लिए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–306–सहपठित ज्ञापांक–8723 (ई०), दिनांक 20.12.2018 के द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–02–सहपठित ज्ञापांक–37 (ई०) दिनांक 02.01.2019 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–83–सहपठित ज्ञापांक–3584 (ई०), दिनांक 16.06.2021 के द्वारा श्री पासवान के निलंबन को दिनांक 26.03.2021 के प्रभाव से समाप्त किया गया।

2. श्री पासवान के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–412 अनु० दिनांक 11.02.2020 से प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी के द्वारा उक्त सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति का बिन्दु सृजित करते हुए विभागीय पत्रांक–7459 (ई०), दिनांक 22.10.2020 के द्वारा श्री पासवान से लिखित अभिकथन के रूप में अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री पासवान ने पत्रांक–शून्य, अनु०, दिनांक 18.12.2020 के द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसके विभागीय समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–08–सहपठित ज्ञापांक–200 (ई०), दिनांक 17.01.2022 के द्वारा उनके द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया गया :–

(क) **संचयी प्रभाव से 05 (पॉच) वेतन वृद्धि पर रोक।**

3. श्री पासवान के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में उक्त आदेश के तहत ही यह निर्णय लिया गया कि इस पर नियमानुसार अलग से कार्रवाई की जायेगी। तदालोक में विभागीय पत्रांक–981 (ई) दिनांक 25.02.2022 द्वारा उनके निलंबन अवधि दिनांक 20.12.2018 से 25.03.2021 तक विनियमन के बिन्दु पर सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय कि उक्त निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं उक्त अवधि को अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में परिगणित किया जायेगा, के संबंध में उनसे कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री पासवान ने पत्र दिनांक 27.04.2022 एवं पत्र दिनांक 23.11.2024 से अपना कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया।

4. उल्लेखनीय है कि उक्त समयावधि में श्री पासवान के द्वारा उनके विरूद्ध संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन पत्र दिनांक 17.02.2022 भी समर्पित किया गया, जिसपर अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग के द्वारा दिनांक 03.11.2022 को श्री पासवान की व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। मामले की विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि उनके द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में अथवा अपील अभ्यावेदन में पूर्व में समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर के अतिरिक्त कोई नया तथ्य एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, लेकिन समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री पासवान के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड प्रमाणित पाये गये आरोपों के समानुपातिक नहीं है। उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड प्रमाणित आरोपों की तुलना में excessive पाया गया। अतः उपर्युक्त के आलोक में सक्षम अपीलीय प्राधिकार के स्तर से श्री पासवान के विरूद्ध संसूचित दण्ड को विभागीय कार्यालय आदेश सं०–5422 (एस) दिनांक 04.11.2024 के द्वारा निम्नरूपेण पुनरीक्षित किया गया :–

(क) **संचयी प्रभाव से 01 (एक) वेतन वृद्धि पर रोक।**

5. श्री पासवान के द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में समर्पित अभ्यावेदन में निम्नलिखिम मुख्य तथ्य अंकित किया गया है :–

(i) श्री पासवान ने अंकित किया है उनको एक लंबे अवधि लगभग 27 महीनों तक निलंबित रखा गया, जबकि उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उन्होंने हमेशा सहयोग किया। उनके मामले में जाँच प्रतिवेदन पर ससमय निर्णय नहीं लिया गया, जिससे उनके निलंबन अवधि में वृद्धि होते चली गयी। इतने लंबे अवधि तक निलंबित रहने के लिए वे दोषी नहीं है, अतः उनके निलंबन अवधि को पूर्ण रूप से कर्त्तव्य अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन भत्ता के साथ विनियमित किया जाय।

कृ०पृ०उ०

6. उल्लेखनीय है कि श्री पासवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 (1) (क) के तहत निलंबित किया गया था। Rule-9 (1) (क) के तहत आरोपी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चलाये जाने के लिए ही उन्हें निलंबित किया जाता है। श्री पासवान के अनुरोध पर निलंबन अवधि को लंबे समय तक चलते रहने के कारण Rule-10.1 (I) में विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–30–सहपठित ज्ञापांक–672 (ई०) दिनांक 01.02.2021 द्वारा निलंबन के 12 (बारह) माह के पश्चात उनको देय जीवन निर्वाह भत्ता में 50% (प्रतिशत) वृद्धि करते हुए 75% (प्रतिशत) जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया है। स्पष्ट है कि श्री पासवान को नियमानुसार निलंबित किया गया था तथा निलंबन अवधि को लंबे समय तक चलने की स्थिति में उनको देय जीवन निर्वाह भत्ता में भी वृद्धि की गयी थी। अतः उनके द्वारा दिये गये तथ्य एवं तर्क को मान्य पाये जाने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विभागीय समीक्षा के आलोक में श्री पासवान के अभ्यावेदन पत्र दिनांक 27.04.2022 एवं पत्र दिनांक 23.11.2024 को अस्वीकृत करते हुए उनके निलंबन अवधि दिनांक 20.12.2018 से 25.03.2021 तक को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

"श्री पासवान के निलंबन अवधि (दिनांक 20.12.2018 से 25.03.2021 तक) में उनकों मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं उक्त अवधि को अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जायेगा ।"

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–57/2018 (खंड)– /पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–03), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2/3/6/13/14, एवं रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री ब्रह्मानन्द पासवान, कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–
अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–57/2018(खंड)– 127(8) पटना, दिनांक 07/01/25

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

07.01.2025
अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E/Nigrani Section/2011-12/Deepak Kumar/Adhisuchna/k.Adesh